

[भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक: 28.11.2015

अधिसूचना

- (i) देश के भीतर उत्पादित की जा रही तथा देश में उर्वरक (यूरिया) और एलपीजी उत्पादकों को आपूर्ति की जा रही किसी भी घरेलू गैस पर अधिकतम 200 रुपए प्रति 1000 एससीएम (10000 केसीएएल/ एससीएम की एनसीवी दर से) का विपणन मार्जिन वसूल किया जा सकता है।
 - (ii) भविष्य में विपणन मार्जिन की सीमा में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) तक विपणन मार्जिन की सीमा में बढ़ोतरी स्वयं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की जा सकती है। यह वृद्धि उस समय चल रही डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति की अधिकतम सीमा की शर्त पर होगी।
 - (iii) विपणन मार्जिन को उपर्युक्त (ii) में यथा परिकल्पित सीमा से अधिक बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा व्यय विभाग के जरिए सीसीईए का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।
2. उपरोक्त निर्णय मंत्रीमंडल के अनुमोदन की तारीख यानि 18-11-2015 से प्रभावी होंगे।

(श्रीप्रकाश अग्रवाल)

अवर सचिव, भारत सरकार

[फा. सं. एल-12015/5/2009-जीपी-1 (खंड-II)]

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी,